>

Title: Need to take necessary steps to provide protection to crops against the damage caused by wild animals in Pratapgarh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): नियम 377 के माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में बड़ी मात्रा में नील गाय, बन्दरों एवं सुअरों द्वारा गरीब किसानों की करोड़ों रूपये की फसल को किए गए नुकसान की तरफ दिलाना चाहती हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से बहुत ही पिछड़ा है जहां के लोगों का एकमात्र मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी ही है और इस क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है। इस संबंध में पूर्व में सदन में अपनी बात रखी थी जिसके बाद जिला अधिकारी को नील गाय को मारने के आदेश दिए जाने का अधिकार दे दिया गया, परंतु इस संबंध में किसी जिला अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण गरीब किसानों की खड़ी फसल इन नील गायों, बन्दरों एवं सुअरों से नष्ट हो रही है, सुअर तो आलू की पूरी की पूरी फसल को तबाह कर देता है जिसकी वजह से किसानों ने खेती बाड़ी छोड़कर शहरों में जाने का मन बना लिया है। तैयार फसल के नुकसान होने से खाद्य सुरक्षा को खतरा एवं देश में खाद्यान्न का उत्पादन घट रहा है।

सरकार से अनुरोध हे कि नील गाय, बन्दरों और सुअरों से मेरे संसदीय क्षेत्र प्रतापगढ़ में गरीब किसानों की खड़ी फसल को बचाने के लिए शीघ्र कारगर कदम उठाए जाएं एवं जिन किसानों को इससे नुकसान हुआ है उनको समुचित मुआवजा दिया जाए।